न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़

मिसल न0 1/निगरानी/18

अंकित कुमार आ0 राजेन्द्र कुमार जाति बैरागी निवासी घांटोली तहसील अकलेरा

बनाम

1. पवन कुमार आ0 रमेशचन्द जाति बैरागी निवासी घांटोली हाल निवासी रामद्वारा अकलेरा तहसील अकलेरा वगैरह 9 कस

फर्जी पट्टा निरस्त किये जाने अन्तर्गत धारा 92 व 97 रीविजन विरूद्ध फर्जी पट्टा दिनांक 20.08.16 ग्राम पंचायत घांटोली

9/2/18 प्रकरण बाद रिपोर्ट रीडर के प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया। जो प्रकरण प्रस्तुत किया गया है वह ग्राम पंचायत घांटोली द्वारा नियम 157 के तहत जारी पट्टे से सम्बन्धित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 92 व 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा 92(1)(2) के तहत कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को शक्तियां दी गई है व 92(3) में अति आवश्यक परिस्थितियों में पंचायत के संकल्प के निष्पादन को रोकने के लिये निष्पादन से मानव जीवन,व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा या संपति को खतरा कारित होने की संभावना या शांती भंग होने की संभावना की स्थिति में अंतिम विनिश्चय हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर लिखित आदेश द्वारा पंचायत के संकल्प को निलंबित करने की शक्ति जिला कलक्टर को दी गई है। इसी तरह राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा 97, राज्य सरकार को ही पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अतः पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 व 97 के तहत प्रस्तुत निगरानी याचिका क्षेत्राधिकार विहीन व चलने योग्य नही होना पाये जाने पर खारिज की जाती है। प्रार्थी प्रकरण को न्यायिक अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

न्यायालय ए. डी. एम. झालावाड़ (राज.)

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)